संख्या-02/2025/I/1172563/2025/11-4099/61/2025

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 12 दिसम्बर, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लेखा में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत उ0प्र0 पंजीकृत व्यापारियो के लिए जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी-1-5-बजट/पुनर्विनियोजन/2025-2026/452/राज्य कर, दिनांक 13.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा में अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2040-800-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के मानक मद 01-वेतन में रू0 6000.00 लाख की संभावित बचत से लेखाशीर्षक 2040-800-अन्य व्यय 07-उ0प्र0 पंजीकृत व्यापारियो के लिए जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय में रू0 500.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लेखा में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-800-07-**उ0प्र0 पंजीकृत व्यापारियो के लिए जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना** के मानक मद 42-अन्य व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि **रू0 500.00 लाख (रु0 पांच करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (**संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसा**र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

4. प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 2040008000700 उ0प्र0 पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A011-20252026-1975411-1

विषय:- पुनर्विनियोग के सम्बंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)	01 (वेतन)	5,96,00,00,000 रुपये पाँच अरब छियानबे करोड़ मात्र	9,35,00,000 रुपये नौ करोड़ पैंतीस लाख मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,91,00,00,000 रुपये पाँच अरब इक्यानबे करोड़ मात्र	2025-2026
कुल					₹ 5,00,00,000	₹ 5,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000700 (उ.प्र. पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना)	42 (अन्य व्यय)	27,00,00,000 रुपये सत्ताईस करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	32,00,00,000 रुपये बत्तीस करोड़ मात्र	2025-2026
कुल				₹ 5,00,00,000	₹ 5,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु रू0 2200-00 लाख (रुपया बाइस करोड मात्र) का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष उक्त मद में लगभग 100 प्रतिशत धनराशि व्यय हो चुकी है। पूर्व में उक्त मद में रू० 500-00 लाख (रूपया पाँच करोड मात्र) की मॉग की गयी थी जिसकी स्वीकृति शासन के पत्र दिनांक 10.10.2025 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के बाद भी मात्र 50 प्रकरणों का ही निस्तारण हो पायेगा जबकि वर्तमान में जोन स्तर से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 76 प्रकरण लम्बित है, जिनके भुगतान किये जाने हेतु उक्त मद में रू0 500-00 लाख (रूपया पॉव करोड मात्र) की और मॉग की जा रही है।

संख्या:RE-budget-1-164-E-9-139-X-2025-26-दिनांक: 04-12-2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

सिद्धार्थ श्रीवास्तव

अपर निदेशक वित्त।

रघुवीर प्रसाद

संयुक्त सचिव।

संख्या : / , दिनांक- दिसंबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ/ जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9
7. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सिद्धार्थ श्रीवास्तव
अपर निदेशक वित्त।